प्रकाशन हेतु अनुमोदित
09.11.2006

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री,
रिट याचिका संख्या 3823 वर्ष 2006

याचिकाकर्ता	रमेश जायसवाल
बनाम	
उत्तरवादी	राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :-		
याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री पी.के.भादुड़ी, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी संख्या 1 और 2 की ओर से	:	श्रीमती अंजू आहूजा, उपमहाधिवक्ता उपस्थित |
उत्तरवादी संख्या 3 की ओर से	:	श्री प्रदीप कुमार सेनगुप्ता, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ।
न्यायमित्र के रूप में	:	श्री एन. के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, उपस्थित ।

आदेश
(दिनांक 9 नवम्बर, 2006)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर वर्तमान याचिका, में औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-7-2006 (अनुलग्नक-पी/7) को चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-2-2006 के खिलाफ प्रस्तुत पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया था।

(2) निर्विवाद तथ्य, संक्षेप में, यह है कि याचिकाकर्ता, रमेश जायसवाल, जायसवाल नेको लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध संचालक हैं। जिसका पंजीकृत कार्यालय नागपुर में है और स्टील प्लांट रायपुर में है। उत्तरवादी संख्या 3 प्रदीप कुमार सेनगुप्ता ने दिनांक 28-6-2002 के अपने बर्खास्तगी आदेश को श्रम न्यायालय, रायपुर के समक्ष प्रकरण संख्या ए-356/एम.पी.आई.आर. अधिनियम/2002 में चुनौती दी। प्रकरण के लंबित रहने के दौरान श्रम न्यायालय ने एमपी/सीजी औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (संक्षेप में "सीजी.आई.आर. अधिनियम") की धारा 84 के तहत दायर आवेदन में प्रकरण के निराकरण तक याचिकाकर्ता और तीन अन्य (अनावेदकों) को आवेदक प्रदीप कुमार सेनगुप्ता (उत्तरवादी संख्या 3) को वेतन का 50% भुगतान करने का निर्देश दिया।

(3) इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने तीन अन्य जो श्रम न्यायालय में अनावेदक थे,के साथ मिलकर औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत की तथा उसके बाद इस न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसे निरस्त कर दिया गया।

(4) उत्तरवादी संख्या 3 ने सी.जी.आई.आर. अधिनियम की धारा 91 सहपठित धारा 35 के अंतर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रम न्यायालय, रायपुर के समक्ष परिवाद (अनुलग्नक–पी/4) दायर की, जिसमें प्रार्थना की गई कि अनावेदकों के विरुध्द सी.जी.आई.आर. अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। इसके अलावा यह भी प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ता को श्रम न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या ए–356/एम.पी.आई.आर. अधिनियम/2002 में पारित आदेश दिनांक 3–3–2003 का पालन न करने के लिए प्रतिदिन 5000/– रुपए का भुगतान करने तथा तीन महीने के कारावास से दंडित किया जाए। याचिकाकर्ता को दिनांक 6–7–2004 को नोटिस जारी किया गया था।

(5) याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि उसने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "सी.आर.पी.सी.") की धारा 205 के तहत अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दायर किया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रम न्यायालय, रायपुर ने दिनांक 4–1–2006 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया और इस शर्त के अधीन प्रार्थना स्वीकार कर ली कि याचिकाकर्ता दिनांक 20–2–2006 को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रम न्यायालय, रायपुर के समक्ष उपस्थित होगा और 10,000/– रुपये की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करेगा और उसके अतिरिक्त न्यायालय में 10,000/– रुपये की राशि जमा करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) दिनांक 20–2–2006 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के तहत एक और आवेदन इस आशय का जिसमे याचिकाकर्ता अर्थात अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण को स्थगित रखें दायर किया। आवेदन पर विचार करने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रम न्यायालय, रायपुर ने दिनांक 4–1–2006 के आदेश के अनुपालन के लिए प्रकरण को दिनांक 21–3–2006 तक स्थगित कर दिया, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया था कि 10,000/– रुपये का भुगतान करेगा और 10,000/– रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करेगा। तदनुसार 20,000/– रुपये की राशि के लिए जमानती वारंट जारी किया गया। याचिकाकर्ता संपूर्ण विचारण के दौरान अनुपस्थित रहा।

(7) विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) ने सभी तथ्यों की जांच करने पर और याचिकाकर्ता के आचरण को देखने के बाद दिनांक 20–2–2006 के आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया और अगली सुनवाई की तारीख पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 20,000/– रुपये की राशि के लिए जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।

(8) विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) के आदेश दिनांक 20–2–2006 से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 सहपठित धारा 397 तथा सीजी.आई.आर. अधिनियम की धारा 64 (ए) के तहत पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक (उत्तरवादी संख्या 3) ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–3–2003 के अनुसार पहले ही 1,65,332/– रुपये की राशि का भुगतान कर

दिया गया है। पुनरीक्षण आवेदन में यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है क्योंकि श्रम न्यायालय के आदेश का अनावेदक क्र. 1, 2 और 3 द्वारा भी पालन किया जाना था और उन्होंने आवेदक (उत्तरवादी संख्या 3) को वेतन का 50% भुगतान करके आदेश का अनुपालन कर दिया है ।

(9) औद्योगिक न्यायालय ने विविध दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 04/सीजी.आई.आर. अधिनियम/वी/2006 के आदेश दिनांक 19–7–2006 (अनुलग्नक–पी/7) द्वारा पुनरीक्षण को खारिज कर दिया तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रम न्यायालय, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2006 की पुष्टि की।

(10) याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–7–2006 को चुनौती दी है जिसके तहत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2006 जिसमें 20,000/– रुपये की राशि के लिए जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया था, की पुष्टि की गई थी।

(11) याचिकाकर्ता ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रम न्यायालय, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–1–2006 को चुनौती नहीं दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत दायर आवेदन को इस शर्त पर स्वीकार किया था कि याचिकाकर्ता 10,000/– रुपये की राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र को निष्पादित करने और न्यायालय में 10,000/– रुपये की राशि जमा करने के लिए दिनांक 20–2–2006 को उपस्थित होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) दिनांक 20–2–2006 का आदेश, जो औद्योगिक न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण अर्थात विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या 04/सीजी.आई.आर. अधिनियम/वी/2006 (अनुलग्नक–पी/7) की विषय वस्तु थी में केवल राशि 20,000/– रुपये की जमानती वारंट जारी करने का निर्देश था। दाण्डिक पुनरीक्षण खारिज होने के बाद प्रकरण दिनांक 20–7–2006 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रम न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। याचिकाकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के तहत एक और आवेदन दायर किया। न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के बाद, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत प्रस्तुत आवेदन में पारित आदेश दिनांक 4–1–2006 का अनुपालन नहीं किया गया था उक्त आवेदन को निरस्त कर दिया, अगली सुनवाई अर्थात दिनांक 17–8–2006 को याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय के समक्ष दिनांक 20–7–2006 के आदेश को चुनौती नहीं दी है।

(13) श्री दिवाकर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो श्री पी.के. भादुड़ी, विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए, ने तर्क किया कि औद्योगिक न्यायालय का आदेश विधि की दृष्टि से गलत है क्योंकि श्रम न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 3–3–2003 के आदेश में निर्देशित 50% का कुल भुगतान पहले ही आवेदक/उत्तरवादी संख्या 3 को, अनावेदक संख्या 1, 2 और 3 द्वारा किया जा चुका है, जो भुगतान करने के लिए उचित व्यक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, के समक्ष लंबित विचारण में याचिकाकर्ता की उपस्थिति, विचारण की कार्यवाही करने के लिए आवश्यक नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि याचिकाकर्ता कुछ समय बाद अनावेदक संख्या 1, 2 और 3 द्वारा भुगतान की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी तैयार और इच्छुक है। विद्वान अधिवक्ता ने

आगे तर्क किया चूंकि याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-3-2003 का अनुपालन कर दिया है इसलिये याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए दबाव डालने की आवश्यकता नहीं थी | न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से कार्य करते हुए अन्य आरोपियों को दिनांक 4-11-2004 को छोड़ दिया और श्रम न्यायालय में उपस्थित सभी चार अनावेदकों द्वारा किए गए एक ही कथित अपराध के लिए केवल याचीकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखी। विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों **अमर नाथ और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[1] **, भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड और अन्य**[2] **उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय और वीके पुन्शी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) और अन्य**[3]में इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का अवलंब लिया है ।

(14) उत्तरवादी संख्या 3 शिकायतकर्ता, ने इसके विपरीत तर्क किया कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-1-2006 का अनुपालन नहीं किया है, जो न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और प्रतिष्ठा को कम करने के बराबर है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को लगता है कि वह काफी बड़ा है और उसे न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं किया जा सकता। उत्तरवादी संख्या 3 ने आगे तर्क किया कि इस याचिका को भारी जुर्माना के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इसके विपरीत तर्क किया कि याचिकाकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत आवेदन की सुनवाई के समय अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन का पालन करने में विफल रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि याचिकाकर्ता ने कई मौकों पर श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों का उल्लंघन किया है।

(16) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 4-1-2006 के आदेश का पालन नहीं किया है जिसके तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत याचिकाकर्ता का आवेदन कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार किया गया था कि याचिकाकर्ता 20-2-2006 को उपस्थित रहेगा और 10,000/- रुपये की राशि के लिए स्वयं का बंधपत्र निष्पादित करेगा तथा न्यायालय में 10,000/- रुपये की राशि भी जमा करेगा। अगली सुनवाई की तारीख 20-2-2006 को जब याचिकाकर्ता दिनांक 4-1-2006 के आदेश में दी गई शर्तों का पालन करने में विफल रहा, तो न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ने याचिकाकर्ता को दिनांक 21-3-2006 को 20,000/- रुपये की राशि के लिए जमानती वारंट जारी किया और आवश्यक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 4-1-2006 का आदेश जिसके तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत याचिकाकर्ता का आवेदन कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार किया गया था, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी। दिनांक 21-3-2006 को याचिकाकर्ता फिर से अनुपस्थित रहा और न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, के न्यायालय को सूचित किया कि औद्योगिक न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन लंबित रहने तक जमानती वारंट हेतु दिनांक 20-2-2006 के आदेश पर रोक लगाई जाए । इस बीच, याचिकाकर्ता ने

1. AIR 1977 SC 2185
2. (2001) 7 SCC 401
3. (2004) 2 CGLJ 55

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के तहत एक और आवेदन दायर किया ताकि न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, के समक्ष लंबित जांच या विचारण में याचिकाकर्ता को अनुपस्थिति की छूट मिल सके। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ने दिनांक 20-7-2006 के आदेश द्वारा इस आवेदन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि याचिकाकर्ता ने पूर्व के आदेशों (दिनांक 4-1-2006 और 20-2-2006) का पालन नहीं किया है और दिनांक 17-8-2006 को उपस्थित रहने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस याचिका में चुनौतीपूर्ण आदेश यही दिनांक 20-7-2006 का है। **अमर नाथ** (पूर्वोक्त)[1] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय का निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त प्रकरण में शामिल मुख्य वाद विषय यह था कि क्या न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से इनकार करने का आदेश अंतर्वर्ती या अंतिम है | यह अब अनिर्णीत विषय नहीं है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 व 317 के आवेदनों पर न्यायायिक दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश, उसके विरुद्ध पुनर्विचार हेतु अंतरिम आदेश नहीं माना जाता अर्थात उसकी पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है।

(17) सर्वोच्च न्यायालय ने **भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड** (पूर्ववत)[2] (कण्डिका 8) के प्रकरण में निम्नलिखित रूप से अवधारित किया:

> "8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397(2) में निहित प्रतिबंध यह है कि किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई आदेश अंतर्वर्ती है या नहीं, यह केवल आदेश को देखकर तय नहीं किया जा सकता है क्योंकि आदेश अंतर्वर्ती चरण में पारित किया गया था। इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से निर्धारित सुरक्षित परीक्षण यह है: यदि वह आदेश जिसे चुनौती दी गयी है उच्च न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण में याचिकाकर्ता का तर्क बरकरार रखा जाता है, तो क्या पूरी दाण्डिक कार्यवाही समाप्त हो जाएगी? यदि ऐसा होता है, तो आदेश अंतर्वर्ती नहीं है, भले ही इसे किसी भी अंतर्वर्ती चरण के दौरान पारित किया गया हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) यह सच है कि इस प्रकरण में शामिल अपराध समन मामला के रूप में विचारणीय है और प्रकृति में गंभीर नहीं है, जिसमें प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त की उपस्थिति बहुत जरूरी नहीं है, **उषा के. पिल्लई बनाम राज के. श्रीनिवास और अन्य[4] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने** अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति के प्रावधान पर विचार करते हुए यह अवधारित किया कि उन प्रकरणों में भी जहां अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205(1) या धारा 317 के तहत छूट दी गई है, दण्डाधिकारी, धारा 313(1) के खंड (ख) की आज्ञापक आवश्यकता को केवल समन मामलों में ही छूट दे सकते हैं, अर्थात वारंट मामलों से भिन्न प्रकरण में। समन मामलों और वारंट मामलों को दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> "2(w) 'समन-मामला' से तात्पर्य किसी अपराध से संबंधित ऐसे प्रकरण से है, जो वारंट-मामला नहीं है;

---

4 (1993) 3 SCC 208

2(x) वारंट–मामला' से तात्पर्य ऐसे अपराध से संबंधित प्रकरण से है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो।"

(19) सी.जी.आई.आर. अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत अधिकतम तीन महीने की सजा और राशि 5000/– रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह एक समन मामला है।

(20) **चंदू लाल चंद्राकर बनाम पूरन मल और अन्य**[5] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने समन मामला में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की, जिसमें अभियुक्त ने वचन दिया था कि वह अपील या पुनरीक्षण में विचारण के बाद के चरण में उसकी परीक्षा नहीं कराये जाने के कारण उसे होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान का आधार नहीं उठाएगा। **बसवराज आर. पाटिल और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य**[6] **के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय** ने बहुमत से अवधारित किया कि न्यायालय में उसकी शारीरिक उपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए एक आवेदन के साथ अभियुक्त द्वारा स्वयं शपथ पत्र के साथ निम्नलिखित बातों को शामिल करते हुए आदेश दिया जा सकता है:

"(क) तथ्यों का वर्णन जो न्यायालय को यह सन्तुष्ट करे कि अभियुक्त को ऐसे उत्तर देने हेतु न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होने में वास्तविक कठिनाइयाँ हैं।

(ख) यह आश्वासन कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से किसी भी प्रकार से उसे कोई पक्षपात या हानि नहीं होगी।

(ग) यह शर्त कि वह मामले के किसी भी चरण में इस आधार पर कोई शिकायत नहीं करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **रघुनाथ दास एवं अन्य बनाम हरि मोहन पानी**[7] के प्रकरण में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय का वर्तमान प्रकरण से कोई संबंध नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह न्यायालय और अभियुक्त के बीच का मामला है। जहां तक परिषद् पर संस्थित किए गए अभियोजन का सवाल है, समन जारी करने वाले दण्डाधिकारी के पास अभियुक्त की व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश देने का भी अधिकार है। वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता न्यायालय में उपस्थित होने और बंधपत्र निष्पादित करने के लिए कई बार पारित स्पष्ट आदेशों के बावजूद कभी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

(22) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत **अजीत कुमार चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम सेरामपुर नगर पालिका**[8] के प्रकरण में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 की उपधारा (1) के तहत एक आवेदन में याचिकाकर्ता की उपस्थिति पर विचार करते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी के विवेक पर जोर दिया।

---
5 1998(supp) SCC 570
6 (2000) 8 SCC 740
7 1988 CRI.L.J 1573
8 (1989) CRI.L.J 523

(23) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने **के. नारायण पात्र बनाम गोपीनाथ साहू**[9] के प्रकरण में, जिसका उल्लेख याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने किया था, निम्नलिखित निर्णय दिया था:

> "4........जैसा कि 'यदि वह ऐसा करने का कारण देखता है' शब्द से पता चलता है कि धारा 205(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति विवेकाधीन है, और कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह के विवेक का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए संबंधित परिस्थितियों पर उचित विचार करना होगा। कोई व्यापक सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। न्यायालयों को अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देने में उदारता दिखानी चाहिए। इस तरह की उपस्थिति गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामलों में नियम है, जिसमें नैतिक पतन शामिल है, और कुछ समय के लिए कारावास से दंडनीय है। न्यायालय को आरोपित विचलन की प्रकृति, इस तरह के आरोप को स्वीकार करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री, दुर्भावनापूर्ण आरोप की संभावना, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने पर होने वाले किसी भी नुकसान पर विचार करना चाहिए। न्यायालय को अभियुक्त को होने वाली असुविधा का मूल्यांकन करना होगा यदि उसे अपनी छुट्टी, पेशे, व्यापार, व्यवसाय और न्यायालय में उपस्थिति के लिए बुलाए जाने से अनुपस्थित रहने की आवश्यकता होती है, और न्यायालय में उपस्थित न होने पर होने वाले नुकसान के विरुद्ध जब भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर जोर दिया जाता है, तो निःसंदेह कुछ उत्पीड़न होता है। अभियुक्त और न्यायालयों को यह देखना होगा कि यह उत्पीड़न आरोप की गंभीरता, दोषसिद्धि पर संभावित दंड की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति के अनुपात से बाहर न हो, जैसा कि वे प्रथम दृष्टया सामने आते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी तस्वीर देखने के बाद अपने विवेक का प्रयोग करे....."

(24) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत **कावेरी उर्फ बेंगा एवं अन्य बनाम राज्य**[10] के प्रकरण में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया:

> 4........ धारा 205, 292, 292, 293, 299 और 317 में अपवाद निहित हैं। व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को बहुत अधिक तकनीकी या कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। बल्कि यह देखना चाहिए कि क्या प्रकरण के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति पूर्ण रूप से आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है। हालांकि, यह सच है कि अभियोग–पत्र में याचिकाकर्ताओं को फरार दिखाया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता विवाहित महिलाएँ हैं और अपने–अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थीं, और उनके फरार होने या न्याय से भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी।"

(25) **वी.के. पुंशी** (पूर्वोक्त)[3] के प्रकरण में इस उच्च न्यायालय का निर्णय , जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है

9 (1991) CRI.L.J 3219
10 (1995) CRI.L.J 224

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्योंकि उक्त प्रकरण में विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता वाला आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है। इस उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अवधारित किया कि:

> "16........किसी दण्डाधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी समन मामलों में कार्यवाही के दौरान या किसी विशेष स्थिति में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को निरस्त कर दे, यदि न्यायिक दण्डाधिकारी को लगता है कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देने से उसे बहुत कष्ट या परेशानी होगी, और तुलनात्मक लाभ कम होगा। इस तरह के विवेक का प्रयोग केवल दुर्लभ प्रकरणों में ही किया जाना चाहिए, जहां अभियुक्त के निवास या व्यवसाय के कारण या किसी शारीरिक या अन्य अच्छे कारणों से न्यायिक दण्डाधिकारी को लगता है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को निरस्त करना न्याय के हित में ही होगा।
>
> 21........ हालांकि, धारा 205 की उपधारा 2 और धारा 317 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायालय को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि यदि न्यायिक दण्डाधिकारी को लगता है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है, तो वह अभियुक्त की ऐसी उपस्थिति को लागू कर सकता है और स्थापित विधि के अनुसार दण्डाधिकारी को इस विवेकाधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जब न्यायिक दण्डाधिकारी को लगता है कि किसी विशेष कारण और विशेष उद्देश्य के लिए प्रकरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए, उस दिन अभियुक्त की उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में कारण बताने के बाद, वह अपने अधिकारों के भीतर अभियुक्त की ऐसी उपस्थिति को लागू करने का आदेश दे सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(26) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक दण्डाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 और 317 के तहत दायर याचिकाकर्ता के आवेदनों को खारिज करते समय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच नहीं की है। यह एक समन मामला है, इसलिए न्यायिक दण्डाधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 और 317 के तहत आवेदनों पर निर्णय लेते समय सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 और 317 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदनों पर कार्यवाही के दौरान न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि क्या प्रकरण के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। इसलिए औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19-7-2006 और न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रम न्यायालय, रायपुर द्वारा पारित दिनांक 20-7-2006 के आक्षेपित आदेश गलत हैं और उन्हें अपास्त किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है कि इस शर्त के साथ वह स्वयं शपथ पत्र भर दे जिसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हों:

(क) तथ्यों का वर्णन जो न्यायालय को यह सन्तुष्ट करे कि उसे ऐसे उत्तर देने हेतु न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होने में वास्तविक कठिनाइयाँ हैं।

(ख) यह आश्वासन कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से किसी भी प्रकार से उसे कोई पक्षपात या हानि नहीं होगी।

(ग) यह शर्त कि वह मामले के किसी भी चरण में इस आधार पर कोई शिकायत नहीं करेगा।

(27) याचिकाकर्ता को तदनुसार दिनांक 1 दिसंबर, 2006 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रम न्यायालय, रायपुर के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने और ऊपर बताए अनुसार उचित शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को निर्देश दिया जाता है कि वह ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना प्रकरण को गुण–दोष के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रकरण में याचिकाकर्ता/अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति किसी विशेष चरण में आवश्यक है, तो न्यायालय ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(28) तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS